

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या- 223 दिनांक- 19.11.2024  
आदेश


माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 08.11.2024 के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या- 935/ 2022/Admin. 'G' दिनांकित: इलाहाबाद 08.12.2022 एवं अधिसूचना सं०-63/2008/ एडमिन(जी) दिनांकित- मई 23, 2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 एवं 19 सहपठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 के अनुपालन में जनपद न्यायालय कासगंज हेतु अपीलीय प्राधिकारी, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के सम्बन्ध में पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश संख्या- 74 दिनांकित: 19.04.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा:-

- 1- अपीलीय प्राधिकारी- श्री रामेश्वर,  
जनपद न्यायाधीश, कासगंज।
- 2- केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी- श्री अनुतोष कुमार शर्मा,  
वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज।
- 3- केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी- श्रीमती अनुपमा सिंह,  
सिविल जज (सी०डि०), कासगंज।

नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जनपद न्यायालय कासगंज को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त सूचना जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना मय मोबाइल नम्बर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, लखनऊ को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित सूचित हों।

  
( रामेश्वर )  
जनपद न्यायाधीश,  
कासगंज।  
19-11-2024